



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolk@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/108/2016/एफ.सी./525

दिनांक: 22/2/17

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
छठवां तल, बापू भवन, लखनऊ

विषय: जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी०टी० रोड का आन्तरिक भाग के किमी० 161.800 से किमी० 180.00 (कोखराज से मैनोरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में 17.626 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ :- क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक- 15.02.2017 की कार्यवाही (प्रति संलग्न)

महोदय,
उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

उक्त प्रकरण को दिनांक- 15.02.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक- 15.02.2017 की कार्यवाही की प्रति (REC Agenda item 17.3-U.P.) संलग्न है।

क्षेत्रीय सशक्त समिति के द्वारा दिए गये निर्देशानुसार अनुपालना राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है। अतः अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
2. वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी, उ० प्र०।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी, उ० प्र०।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)